

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक

2016

संख्या-2/आ0-70-05/15 गृ0आ0 / श्री अलख निरंजन चौधरी
नित्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय पुलिस
उप-महानिरीक्षक, पूर्णियाँ) के विरुद्ध कतिपय आरोपों के कारण विभागीय कार्यवाही
संस्थित करते हुए गृह (आरक्षी) विभाग के ज्ञापांक-4261 दिनांक 26.06.2015 द्वारा
आरोप पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अपने बचाव में लिखित बचाव अभिकथन
प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। श्री चौधरी द्वारा पुलिस महानिदेशक को
संबोधित बचाव अभिकथन समर्पित किया गया है, पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्र
सं0-6718 दिनांक 14.10.2015 द्वारा श्री चौधरी के बचाव अभिकथन पर अपना मंतव्य
विभाग को समर्पित किया। इनसे प्राप्त बचाव अभिकथन एवं पुलिस महानिदेशक के
मंतव्य के समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)
नियमावली के नियम 17 (2) के तहत श्री चौधरी के विरुद्ध विभागीय जांच का निर्णय
लिया गया है।

2. श्री चौधरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय जांच आयुक्त बिहार
पटना को संचालन पदाधिकारी तथा अपर पुलिस अधीक्षक, सासाराम को
प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। श्री चौधरी से अपेक्षा की जाती है
कि वे विभागीय जांच आयुक्त, बिहार पटना के कार्यालय में इस संकल्प की प्राप्ति की
तिथि से 10 (दस) दिनों के अंदर संचालन पदाधिकारी के द्वारा निर्देशित तिथि को
स्वयं उपस्थित हो।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति
विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना तथा अपर
पुलिस अधीक्षक, सासाराम को आरोप पत्र एवं बचाव
अभिकथन (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ अपेक्षित
कार्रवाई हेतु भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रामजीवन सत्यार्थी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आ0-70-05/2015 गृ0आ0

/पटना, दिनांक

2016

प्रतिलिपि:- विभागीय जांच आयुक्त, -सह संचालन पदाधिकारी, बिहार,
पटना/अपर पुलिस अधीक्षक, सासाराम सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को आरोप पत्र
एवं साक्ष्यों की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

निबधित

ज्ञापांक-2/आ0-70-05/2015 गृ0आ0 /पटना, दिनांक 2016

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री अलख निरंजन चौधरी, तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम, सम्प्रति निलंबित मुख्यालय पुलिस उप-महानिरीक्षक, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


पुलिस महानिदेशक से अनुरोध है कि श्री अलख निरंजन चौधरी, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सम्प्रति सेवानिवृत्त को प्रति उन्हें उपलब्ध कराकर प्राप्ति रशीद विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह0/-

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आ0-70-05/2015 गृ0आ0 326 /पटना, दिनांक 14/11/2016

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर मृह (आरक्षी) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के उप सचिव।